

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-55/2013-स्था. (भर्ती)
 No.F.2-55/2013-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
 Ansari Nagar, New Delhi-29
 दिनांक: 1 JAN 2015

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति ।
Subject:- Promotion to the post of Accounts Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 22.12.2014 को लेखा अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को वेतन बैंड-3 रु.15600-39100 + रु.5400 ग्रेड पे में लेखा अधिकारी के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है :-

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 22nd December, 2014 and its acceptance by the Competent Authority, the following Assistant Accounts Officers are promoted to the post of Accounts Officer in the PB-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400 from the date they assume the charge of the post of Accounts Officer:-

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	वर्तमान तैनाती/ Present Posting
1.	श्री त्रिलोक चन्द Sh. Trilok Chand	अभियांत्रिकी सेवा विभाग Engineering Service Department
2.	श्रीमति मीनक्षी डब्राल Smt. Meenakshi Dabral	वित्त विभाग Finance Division
3.	श्री प्रेम पाल Sh. Prem Pal	वित्त विभाग Finance Division

वे सभी दिल्ली/नई दिल्ली/ बड़सा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुशल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत करचरियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भर्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future.

वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएँ किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation they will be required to put in satisfactory service failing which their services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्तें उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वेतन बैंड-3 रु.15600-39100 + रु.5400 ग्रेड पे प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted PB-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400 under ACP/MACP Scheme.

पृष्ठ 2 पर जारी/Contd..2..

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी ।

Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

[के. के. वैद्य / K. K. VAID]

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्यवाहक)
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER (Actg.)

संबंधित व्यक्ति/Persons concerned

(द्वारा: अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार)

(Through:- Superintending Engineer/Financial Advisor)

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) अधीक्षण अभियंता // Superintending Engineer
- 2) वित्त सलाहकार // Financial Advisor
- 3) वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (नि.का.) // Sr. Admin. Officer (D.O.)
- 4) उप निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव // PS to DDA/Sr. FA/CAO
- 5) स्थापना अनुभाग- नि.का./Establishment Section - D.O.
- 6) लेखा अनुभाग-II एवं III // Accounts Section II & III
- 7) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section
- 8) सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
Vigilance Cell / ACR's Cell /SC/ST Cell
- 9) संरक्षण मिसिल // Guard File
- 10) Professor-in-charge Computer Facility - with the request to upload on Institute website.